2024/67

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

हसनमीन सिंह बनाम गुरदास कौर वगैरा

अपील सं0 20/2024

अधिवक्ता अपीलार्थीः– बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टः–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
17.05.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त विवादित भूमि चक 15 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जमाबन्दी सम्वत् 24/18, मु.नं.23, प.नं. 197/251 की 1.657 हैक्टर नहरी , खाता संख्या 21/15, मु.नं. 31, प.नं. 201/252 में 0.430 हेक्टर नहरी , खाता संख्या 22/16, मु.नं. 7 प. नं. 202/250 में 2.480 हैक्टर नहरी व मु.नं. 17, प.नं. 203/251 में 2.644 हैक्टर व मु.नं. 24, प.नं. 196/251 में 1.139 हेक्टर नहरी मय खाला व मु.नं. 31, प.नं. 201/252 में 0.962 हैक्टर नहरी मय खाला व मु.नं. 48, पन.नं. 197/253 में 0.304 हैक्टर नहरी कुल तादादी 7. 529 हैक्टर नहरी मय खाला एवं खाता सख्या 23/17 , मं.नं. 35, प. नं. 205/252 में 2.783 हैक्टर नहरी भूमि में से प्रार्थी के हिस्से तक का स्थगन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा कन्फर्म दिनांक 04. 11.2020 को किया गया, जिसके खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील प्र.सं. 130/2020 अपने निर्णय दिनांक 18. 01.2022 द्वारा उक्त स्थगन को विचाराधीन वाद तक उक्त स्थगन आदेश को यथावत रखा। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में वाद विचारधीन होते हुए राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सीपीसी प्र.स. 04M/2024 अनवानी गुरदास कौर बनाम हसनमीत सिंह दिनांक 08. 05.2024 को दर्ज कर दिनांक 08.05.2024 को निर्णय पारित किया एवं दिनांक 09.05.2024 को उक्त विवादित भूमि का इन्तकाल स्वीकृत किया गया जो प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 412, 413,414,415 दिनांक 09.05.2014 में अंकित अपीलार्थी के हिस्से की भूमि को रहन, बैय व अन्यत्र स्थान्तरित नहीं करेंगें एवं मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेस्पोडेन्ट एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.06.2024 को पेश हो। अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	661-662 17/5/24

6.06.24

Rajveer Kaur

[signature]

6/6/24

अपीलार्थी जरिये कुदरती बली माता राजवीर कौर पत्नी निशान सिंह ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील श्रीमान न्यायालय में जेरकार है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस का आपस में राजीनामा हो गया है। अब दोनो पक्षों के मध्य अपील में दर्ज किये गये कथनों के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रहा है, इसलिए अपीलांट/अपीलार्थी अपील को आगे न चलाकर अपील को दाखिल दफ्तर करवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवानी अपील में आयन्दा कोई सुनवाई न कर अपील को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अतः अपीलार्थी एवं रेसपोडेन्टस का आपस में राजीनामा हो जाने के कारण एवं उनके द्वारा उक्त अपील को आगे न चलाकर दाखिल दफ्तर करवाने पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार, पदमपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)